भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 835
जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 नवम्बर, 2024 को दिया जाना है

ईवीएम हैकिंग को रोकना

835. एडवोकेट चन्द्र शेखर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में हेराफेरी किए जाने के आरोपों के आलोक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में छेड़छाड़ या हैकिंग को रोकने के लिए किए गए सुरक्षोपायों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

भारत निर्वाचन आयोग(ईसीआई) ने सूचित किया है कि ईवीएम एक अकेले कार्य करने वाली मशीन है जिसमे रेडियो आवर्ती संचार की क्षमता नहीं है,अत: यह बेतार, ब्लू टूथ, वाईफाई आदि के माध्यम से संचार नहीं कर सकती है। मशीन में किसी छेड़छाड़/फेरफार को रोकने के लिए इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित किया गया है। इसमें अन्य बातों के साथ एक टाइम कार्यक्रमीय चिप, अप्राधिकृत पहुँच का पता लगाने के लिए मॉड्यूल, उन्नत कोडीकरण तकनीकें, सुदृढ़ पारस्परिक अधिप्रमाणन क्षमता आदि जैसी विभिन्न तकनीकी विशेषताएं सम्मिलित की गई है। भारत निर्वाचन आयोग गैर निर्वाचन अवधि के दौरान भंडारण और संचालन, (24X7 सीसीटीवी, सशस्त्र सुरक्षा, लॉग बुक और जीपीएस आधारित यान आदि) ईवीएम भांडागार/ सुरक्षित कक्ष को खोलने और बंद करने के दौरान मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी में मतगणना होने तक सुदृढ़ और सुरक्षित प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी लागू करता है। इसके अतिरिक्त, ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच, ईवीएम का दो स्तरीय यादृच्छिकीकरण, मॉक पोल को आरंभ करना और उसका विस्तार, वास्तविक मतदान और मतगणना आदि, मतदान प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर वीडियोग्राफी के साथ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों/ अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में की जाती है।

भारत निर्वाचन आयोग ने यह भी सूचित किया है कि ईवीएम पर लगभग 42 याचिकाएं विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष फाइल की गई है। ईवीएम के उपयोग में अंतर्वलित प्रौद्योगिकी या सुदृढ़ताओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के पश्चात्, न्यायालयों ने बार बार यह अभिनिर्धारित किया है कि ईवीएम विश्वसनीय हैं, भरोसेमंद हैं और इनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है।

****